

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ.01.सी.सी/स्वा.निरी./एसीपी/2023/100

दिनांक : 09/03/2023

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(7)/एफडी(रुल्स)/2008 पार्ट-1 दिनांक 06.02.2008 में उपलब्ध प्रावधानुसार निम्नलिखित कर्मचारी को राज्यसेवा में 27 वर्षीय की सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवावधि	ए.सी.पी स्वीकृति दिनांक	पै-बैंड / लेवल
1.	श्री श्रीवास कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक	सीएमएचओ, झुझुनू	03.01.1987	27 वर्ष	03.01.2014	L-12

स्वीकृत ए.सी.पी में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

दिनांक : 09/03/2023

क्रमांक:एफ.01.सी.सी/स्वा.निरी./एसीपी/2023/100

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुनू।
2. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जायल देवली, बूहाना।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम कमरा नं0 302 मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर